ज्ञानेन्द्र सिंह मृत–वारिसान आदि विरुद्ध हर्षसिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.एन. / 10–2 / आर / 1296 / 95 जिला – [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 147 / निग0 / 94–95 में पारित आदेश दिनांक 27–9–95 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने यह मानकर कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है आवेदक की निगरानी को खारिज किया गया है ।	
	2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एव अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 की कार्यवाही मे सीमांकन सबंधी आवेदन को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध है । अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश में यह माना है कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है और इस आधार पर उन्होंने आवेदक के आवेदन को जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है वह उचित माना है । इस बिंदु के अतिरिक्त इस प्रकरण में अन्य कोई बिंदु नहीं है । अपर आयुक्त का जो आदेश है, वह प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए वह उचित, न्यायिक एवं विधिसम्मत है, उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामत: यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है	
	3– उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों ।	
	सदस्य	

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT भारत दो TWO R

COURT FEE भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

RN/10-21R/1296/95

प्र०क्र० १८५ पुनरीक्षण

१- ज्ञानेन्द्रसिंह)
२- जीतेन्द्रसिंह) पुत्रगण देवेन्द्रसिंह

निवासीगण रामपुर बघेलान तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना ----- आवेदकगण

विरुद्ध

हर्षसिंह पुत्र गोविन्द नारायणसिंह निवासी रामपुर बघेलान तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना ------- अनावेदक

26.12.95

26.12.95